



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997 क्रमांक 3 के अन्तर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(A Central University established by Parliament by Act No.3 of 1997)

कादर नवाज़ ख़ान

Kadar Nawaz Khan

कार्यकारी कुलसचिव/ Acting Registrar

दूरभाष / Phone: +91-7152-251661

फ़ैक्स / Fax: +91-7152-230903

पत्रांक : 005/DIFHE/2017/01/439

तिथि : 14. 11. 2017

परिपत्र

उच्चतर शिक्षा में डिजिटल पहल के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा 'स्वयं' कार्यक्रम आरम्भ किया गया है जिसे शिक्षा नीति के तीन आधारभूत सिद्धांतों अर्थात् पहुँच, निष्पक्षता तथा गुणवत्ता को प्राप्त करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इस प्रयास का उद्देश्य सबसे अधिक वंचित वर्ग को श्रेष्ठ शिक्षण अधिगम साधन उपलब्ध कराना है।

'स्वयं' के माध्यम से 9वीं कक्षा से लेकर स्नातकोत्तर कक्षा तक शिक्षण कक्षा में पढ़ाए जाने वाले सभी पाठ्यक्रमों को किसी के लिए, कहीं भी, किसी भी समय की सुविधा के साथ उपलब्ध कराया गया है। इन पाठ्यक्रमों का प्रयोग कोई भी प्राध्यापक अपने शिक्षण/अध्यापन कार्य के लिए कर सकता है।

उक्त के आलोक में विश्वविद्यालय के सभी विभाग/केंद्र प्रमुख से निम्नलिखित जानकारी दिनांक 16.11.2017 तक प्राथमिकता के आधार पर अकादमिक विभाग में उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध है ताकि मानव संसाधन विकास मंत्रालय को जानकारी समय से उपलब्ध करायी जा सके-

1. विभाग/केंद्र के कितने पाठ्यक्रम स्वयं पोर्टल (<https://swayam.gov.in>) पर उपलब्ध है।
2. विभाग/केंद्र के कितने प्राध्यापक अध्यापन हेतु स्वयं पोर्टल का उपयोग कर रहे हैं।
3. विभाग/केंद्र के कितने विद्यार्थी अध्ययन हेतु स्वयं पोर्टल का उपयोग कर रहे हैं।

यह परिपत्र सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

कादर नवाज़
(कादर नवाज़ ख़ान)

14/11/17

प्रतिलिपि:

1. कुलपति कार्यालय।
2. प्रतिकुलपति कार्यालय।
3. विश्वविद्यालय के सभी संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, निदेशक एवं प्रभारी।
4. प्रभारी, लीला को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
5. संबंधित फाइल।